# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2025/ 148 दिनांक 13/02/2025

**अनवान :—**

| प्रार्थी | बनाम | विप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| जीयोंदेवी वगैरा | बनाम | मंगलाराम वगैरा |

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 184/2024 दिनांक : **06.02.2025**

## आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ, पटवार क्षेत्र आलमसर के मौजा दीनगढ़ के खेत खसरा सं. 930/59 रकबा 05.3985 **हैक्टयर** भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे|

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है | प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे|

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2025/ 149 — 152 दिनांक 13/02/2025

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार धनाऊ
2. प्रार्थी जीयोंदेवी वगैरा
3. विप्रार्थीगण मंगलाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाऊ/सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.02.24 16:57:21 IST
Reason: SelfAttested

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन